भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 581

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**कोर्ट रूम की कमियां**

**+581. श्री अहमद अशफाक करीम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उच्च न्यायालयों में 3500 से 4000 कोर्ट रूम की कमियां हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** तारीख 10/12/2018 को जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों के लिए 18,731 न्‍यायालय हॉल उपलब्‍ध हैं, इसके अतिरिक्‍त, 2,906 न्‍यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं । उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार, जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका में 22,644 न्‍यायिक अधिकारियों के स्‍वीकृत पदों के विरुद्ध 17,509 न्‍यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना/न्यायालय कक्षों के प्रबंध की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । संघ सरकार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के साथ मिलकर इस संबंध में, राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करने के लिए न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का क्रियान्वयन कर रही है। यह योजना वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। यह जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय हॉल, न्यायालय प्रक्षेत्रों और निवास स्थान के निर्माण का समावेश करती हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*